राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

मनोज कुमार, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

पत्रांकः–SHSB/MCH/41/2008/VII..................

सेवा में,
सभी सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति
बिहार

पटना, दिनांक : ..../06/2020

विषय : COVID 19 Pandemic महामारी के दौरान RMNCAH+N के अंतर्गत शिशु स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम के तहत सेवाओं के प्रावधान के संबंध मार्ग दर्शन के संबंध में।

प्रसंगः भा०स० का पत्रांक D.O.No. 1762075/2020-Imm, दिनांक 24.05.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से COVID 19 Pandemic महामारी के दौरान RMNCAH+N सेवाओं के संबंध में प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में निम्न मार्गदर्शन दिये जाते हैः

कार्यक्रम अंतर्गत गतिविधि	कॉनटेनमेंट तथा बफर जोन	बफर जोन से बाहर तथा ग्रीन जोन
बीमार नवजात शिशु की देखभाल, एस.एन.सी.यू. डिस्सार्ज शिशु का फॉलो–अप तथा Family Participatory Care करना	• बीमार नवजात शिशु को निकटतम एस.एन.सी.यू./एन.बी.एस.यू में चिकित्सकीय सुविधा प्रदान किया जाये। प्रत्येक एस.एन.सी.यू में प्रवेश द्वार के पास Triaging के लिए एक रेडियण्ट वार्मर उपलब्ध करायी जाये। Suspect Case (Covid 19) के लिए Step Down/Family Participatory Care (FPC) कमरे को दो रेडियण्ट वार्मर के साथ तैयार रखा जाये। कोविड 19 पोजिटिव नवजात को स्थिरीकरण करने के उपरांत राज्य सराकर के कोविड 19 के दिशा निर्देश के आलोक में कोविड 19 मरीजों के लिए चिन्हित संस्थानों (NMCH, ANMMCH एवं JLNMCH)/नजदीकी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में उचित व्यवस्था के साथ रेफरल सुनिश्चित किया जाय। • एस.एन.सी.यू. में Family Participatory Care को वर्तमान परिस्थितियों में स्थगित रखा जाना है। • एस.एन.सी.यू से डिस्चार्जड नवजात शिशुओं के संबंध में माता/देखभालकर्ता के साथ एस.एन.सी.यू.	कार्यक्रमों के सामान्य दिशा निर्देशों के अनुसार सभी सुविधाओं/सेवाओं को जारी रखा जाना है।

	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के द्वारा फैसिलिटी फॉलो–अप तथा आशा कार्यकता द्वारा कम्युनिटी फॉलो–अप दूरभाष के माध्यम से किया जाना है। सिर्फ खतरे के चिह्न वाले नवजातों को ही उचित वाहन के माध्यम से एस.एन.सी.यू. भेजा जाय। • कोविड–19 के उद्देश्य से स्वास्थ्य कार्यकताओं/कोविड 19 कार्यकर्ताओं द्वारा घर–घर भ्रमण करने के दौरान ही शिशुओं के स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक पूछताछ किया जाना चाहिए और आवश्यक सेवा हेतु सुविधा प्रदान किया जाना चाहिए। • आवश्यकता पड़ने पर कोविड कार्यकताओं को प्रशिक्षित किया जा सकता है।	
एच.बी.एन.सी.	• दूरभाष के माध्यम से नियमित एच.बी.एन.सी. सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिए। • कोविड–19 के उद्देश्य से स्वास्थ्य कार्यकताओं/कोविड 19 कार्यकर्ताओं द्वारा घर–घर भ्रमण करने के दौरान ही शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी आवश्यक पूछताछ किया जाना चाहिए और आवश्यक सेवा हेतु सुविधा प्रदान किया जाना चाहिए। • आवश्यकता पड़ने पर कोविड कार्यकताओं को प्रशिक्षित किया जा सकता है।	कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार एच. बी.एन.सी. भ्रमण पूर्ववत् किया जाना है।
पोषण पुनर्वास केन्द्र पर जटिलयुक्त अतिगंभीर कुपोषित बच्चों का प्रबंधन	• कोविड–19 से बचाव हेतु समय–समय पर निर्गात निर्देशों का पालन करते हुए चिकित्सकीय जटिलता वाले अतिगंभीर कुपोषित बच्चों को नजदीकी पोषण पुनर्वास केन्द्र में चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करायी जानी चाहिए। • उचित रेफरल की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। 102 सेवा मुफ्त में उपलब्ध करायी जानी चाहिए। • पोषण पुनर्वास केन्द्र से डिस्चार्जड बच्चों का नियमित रूप से दूरभाष के माध्यम से फॉलो–अप सुनिश्चित किया जाये। • कोविड–19 के उद्देश्य से स्वास्थ्य कार्यकताओं	कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार जटिलतायुक्त अतिगंभीर कुपोषित बच्चों का प्रबंधन पूर्ववत् किया जाना है।

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना– 800 014,
दूरभाष: 0612–2290328, फैक्स: 0612–2290322, वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार

	द्वारा घर–घर भ्रमण करने के दौरान ही शिशुओं के स्वास्थ्य एंव पोषण संबंधी आवश्यक पूछताछ किया जाना चाहिए और आवश्यक सेवा हेतु सुविधा प्रदान किया जाना चाहिए। • आवश्यकता पड़ने पर कोविड कार्यकताओं को प्रशिक्षित किया जा सकता है।	

स्तनपान का बढ़ावा संबंधी विशिष्ट दिशा निर्देश– माँ एवं नवजात शिशु को यथासंभव एक साथ रखा जाय तथा कोविड 19 के बावजूद जन्म के एक घण्टे के अन्दर स्तनपान शुरू करना सुनिश्चित किया जाय। शिशुओं को हर बार स्तनपान कराते समय माँ द्वारा मास्क का प्रयोग एवं हाथ की स्वच्छता का पालन करना चाहिए।

उक्त के आलोक में निदेशित है कि अपने स्तर से संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों को दिशा निर्देश निर्गत करते हुए अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

विश्वासभाजन,

ह०/–
(मनोज कुमार)

ज्ञापांक : 1176 पटना, दिनांक : 02/06/2020

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपिः स्वास्थ्य विशेषज्ञ/पोषण विशेषज्ञ, यूनिसेफ, बिहार को सूचनार्थ एवं फॉलो–अप हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः निदेशक, एस.आर.यू. बिहार को सूचनार्थ एवं फॉलो–अप हेतु प्रेषित।

2/6/2020

कार्यपालक निदेशक

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना– 800 014,
दूरभाषः 0612–2290328, फैक्सः 0612–2290322, वेबसाइटः www.statehealthsocietybihar.org

स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार